फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल उर्फ देवा बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

केस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 143/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खानातालाब पटवार हल्का रावना तहसील भीण्डर की साबिक आराजी न. 594/31 रकबा 5 बिघा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा होकर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी न. के नये आराजी न. 75 रकबा 0.3700 है. भूमि के रूप दर्ज हुये। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की भूमि को साबिक रकबे अनुसार दर्ज नहीं कर रकबे में कमी कर दी गई जबकि प्रार्थी की साबिक रकबे 5 बिघा के हिसाब से नवीन जमाबंदी में 1.0800 है. भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। अतः प्रार्थी द्वारा साबिक आराजी न. के हिसाब से प्रार्थनाग्रस्त भूमि के रकबे को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि गत रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खाता संख्या 24 खसरा सं. 594/31 रकबा 5 बिघा भूमि दर्ज थी परंतु नवीन राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 29 खसरा सं. 75 रकबा 0.3700 है. भूमि ही प्रार्थी के नाम दर्ज की गई है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा स्वयं की खातेदारी आराजी सं. 75 रकबा 0.3700 है. के साथ ही बिलानाम खसरा सं. 74 रकबा 1.2000 है. में से लगभग 0.4200 है. भूमि पर है। पुराने नक्शे/लट्ठे शीट में आराजी की तरमीम नहीं की गई है। राजस्व ग्राम खानातालाब की गत जमाबंदी संवत् 2068–71 में कुल बिलानाम भूमि 197–05 बिघा दर्ज थी तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 में 46.0300 है. बिलानाम भूमि दर्ज है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पुराने नक्शे में आराजी की तरमीम नहीं हो रखी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नवीन सेटलमेंट के बाद रकबे में कमी होना बताया है जिससे प्रकरण में अन्य तथ्यों को भी देखा जाना आवश्यक है जिससे उक्त प्रकरण साक्ष्य का विषय है। धारा 136, 131 के तहत रोटेशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों व नक्शे को सुधारा जाता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाते है। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से व वादी के वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:57:14 IST
Reason: SelfAttested